

मध्य रेल



संख्या: SUR/P/General/Notice

मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय
कार्मिक शाखा, सोलापुर

दिनांक: 20/10/2023

23

सम्बंधित शाखा अधिकारी : सोलापुर मंडल

Sub: पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला मानदेय/पुरस्कार

उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय कार्यालय का पत्रांक जी 333 पीराभा/पारंगत योजना/174 दिनांक 16/10/2023 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु परिपत्रित की जाती है।

उपरोक्त सूचना सोलापुर मंडल की वेबसाइट: www.cr.indianrailways.gov.in पर अपलोड किया गया है, इस प्रकार से विजिट कर About us > Divisions > Solapur > Personnel > Notification सेक्शन में देखें।

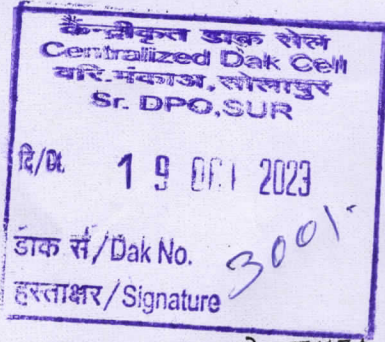
अनुलग्नक : यथोक्त।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
सोलापुर

प्रति :

DRM, ADRM सोलापुर: कृपया सूचनार्थ।

मंडल सचिव: **NRMU/CRMS/AIOBCREA/AISCSTREA**:सोलापुर, कृपया सूचनार्थ।



ई-मेल द्वारा

शुद्धि पत्र

महाप्रबंधक कार्यालय
राजभाषा विभाग
मुंबई छशिमट

दिनांक : 16.10.2023

जी 333 पीराभा/पारंगत योजना/174

1 मुख्य इंजीनियर, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, प्रधान वित्त अधिकार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), प्रधान मुख्य विजली इंजीनियर, प्रधान मुख्य यांत्रिक नियर, प्रधान मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रधान मुख्य केत्सा निदेशक, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, प्रधान मुख्य अधिकारी, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

मंडल : मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर, नागपुर

कारखाना : भायखला, परेल, माटुंगा, भुसावल, नाशिक रोड, मनमाड, सानपाड़ा

उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, कुर्दुवाडी

रेल प्रशिक्षण संस्थान, भुसावल

विषय : पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला मानदेय/पुरस्कार ।
संदर्भ : मुख्यालय राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 05.01.2017 को जारी पत्र संख्या जी 333 पीराभा/पारंगत योजना/174 .

उपर्युक्त संदर्भधिन पत्र के अंतर्गत अवगत कराया जाता है कि मुख्यालय राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 05.01.2017 को जारी पत्र संख्या जी 333 पीराभा/पारंगत योजना/174 में दर्शाई गई पुरस्कार राशि किसी भी कर्मचारी जो पारंगत परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो उन्हें देय नहीं होगी चूंकि इसे रेलवे बोर्ड, वित्त निदेशालय द्वारा सहमति प्राप्त नहीं हुई थी ।

इसी क्रम में रेलवे बोर्ड वित्त निदेशालय के दिनांक 16.07.2021 के पत्र संख्या 2015/प्र.-10/3 पार्ट का लोकन करें जिसमें रेलवे बोर्ड ने इस मानदेय/पुरस्कार योजना को 16.07.2021 से लागू किया है । इस पत्र अनुसार दिनांक 16.07.2021 के बाद पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारी ही इस मानदेय/पुरस्कार पाने के पत्र होंगे (प्रतिलिपि संलग्न) । यदि इससे पहले किसी कर्मचारी द्वारा यह मानदेय/पुरस्कार लिया गया तो उसकी वसूली अनिवार्य रूप से कराई जाए ।

कृपया यह शुद्धि पत्र सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

यथोक्त

8/10/2023
(दीपा मंदयान)

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी (मुख्यालय)

1: प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी.
सर्वसंबंधित सहायक कार्मिक अधिकारी- मध्य रेल मुख्यालय/मंडल/कारखाना तथा यूनिट

श.का.नं (टी/टी)

का.नं. (सामान्य)

18/10/23

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी-2015/प्र-10/3 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 16.07.2021

(राजभाषा)

यह उत्पादन इकाइयां,
वे (निर्माण), मालीगुंव, गुवाहाटी
रता
गुलीकरण संगठन, प्रयागराज

दिग्गो/इरिसेट/इरिटिम
संयोजक

राष्ट्रीय अकादमी, वजोदरा

लेदेशक,

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली

समाजीकृत रेल रेल सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ

, नाल रोड, दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

राइट्स, गुडगांव

इरफॉन, नई दिल्ली

कोकण रेलवे,

कॉन्कॉर, नई दिल्ली

रेलटेल, नई दिल्ली

रेल विकास निगम लि. नई दिल्ली

आई.आर.सी.टी.सी., नई दिल्ली

प्रबंध निदेशक

क्रिस, नई दिल्ली

भा.रे.वि.नि., नई दिल्ली

रेडीकेटेड प्रोड करीओर, नई दिल्ली

प्रधान सचिव,

भारतीय रेल संग्रहालय,

नई दिल्ली

प्रधान मुख्य वृत्तान्तिक अधिकारी,

छिन्न रेलवे अंतर्निर्माण कारखाना, पटियाला

कोकण, नई दिल्ली

केन्द्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में करने में दवा प्रदान हेतु अन्वय
आधारित पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन विस्तृत वर्ष 2021-22 से प्रस्तावित मानदंड (पुस्तक)
संग्रह करने के संबंध में।

मं: गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) का दिनांक 21.12.2020 का का.मा. सं. 21034/69/2008-रा.भा. (प्रशि.)

उपरोक्त विषय पर कृपया गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 21.12.2020 के संदर्भाधीन कार्यालय आपन
सं. 21034/69/2008-रा.भा. (प्रशि.) का अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत विस्तृत वर्ष 2021-22 से केन्द्र सरकार के कार्मिकों को
कामकाज हिंदी में करने में दवा प्रदान हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
विशेष पाठ्यक्रम अन्तीम करने पर निर्णयानुसार एकमुश्त वात्साहल राशि प्रदान किए जाने का निर्णय
है:-

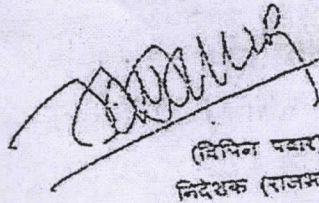
(क)	55% से 59% अंक प्राप्त करने पर	4,000/- रु
(ख)	60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	7,000/- रु
(ग)	70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	10,000/- रु

यह है कि उक्त योजना के तहत रेलों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली मानदंड
4, प्रमुख शीर्ष-3001-भारतीय रेलवे नीति निर्माण, दिशा, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन/विविध व्यव
कृत अनुबंध-एक, नमू सं. 7 (एक) (सरकारी कार्य प्रतियोगिताओं, अखिल भारतीय राजभाषा सप्ताह समारोह,
व में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं) के अंतर्गत प्रभाव्य होती। इसके अलावा, रेल
मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली मानदंड राशि गंग सं. 84-रेल मंत्रालय-मुख्य शीर्ष-
3001 विविध वर्ष (मानदंड)-अनुबंध एक के अंतर्गत प्रभाव्य होगी।

कि इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कर्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में नामित किया जाए ताकि अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकें।

रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 से संबंधित है।


(विपिन पुरी)
निदेशक (राजभाषा)

नई दिल्ली, दिनांक: 15.07.2021

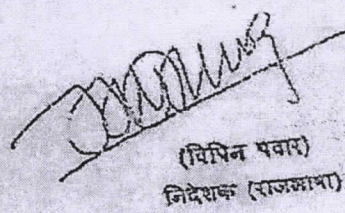
निदेशक, लेखा परीक्षा, उत्तर रेलवे, बडौदा हाउस, नई दिल्ली।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (रेल), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
वित्त सलाहकार, उत्तर रेलवे, बडौदा हाउस, नई दिल्ली।

विभाग-1 राजभाषा
कृते सदस्य वित्त (रेल) 15/7/21

नई दिल्ली, दिनांक: 16.07.2021

10/3

कार्यालय की वित्त (स्थापना)-II, वित्त (व्यय)-II (3 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित), रोकड-III
वित्त (बजट) शाखाओं को प्रेषित।


(विपिन पुरी)
निदेशक (राजभाषा)